न्यायालय जिला कलक्टर, सिरोही
बईजलास श्री भगवती प्रसाद, आई.ए.एस.

राजस्व अपील संख्या 34/2012

अपीलार्थी	बनाम	रेस्पोडेन्ट
श्री रामसिंह पुत्र श्री राजाजी जाति राजपूत निवासी सालगांव तहसील आबूरोड जिला सिरोही।		सरकार जरिये तहसीलदार आबूरोड

राजस्व अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956

उपस्थिति :

1. श्री नगेन्द्र मेडतिया अधिवक्ता अपीलांट।
2. नीरज कुमारी नायब तहसीलदार सिरोही (पैरोकार सरकार)।

निर्णय

दिनांक : 09.06.2021

अपीलार्थी ने यह अपील राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 75 के तहत तहसीलदार, आबूरोड द्वारा उनके मुकदमा संख्या 23/2011 में पारित आदेश दिनांक 01.08.2011 के विरूद्व दिनांक 06.07.2012 को प्रस्तुत की जो दर्ज रजिस्टर की जाकर अपीलांट अधिवक्ता के निवेदन पर अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख तलब किया जाकर रेस्पोडेन्ट को सम्मन जारी किया गया ।

अभिलेख प्राप्त होने एवं सम्मन तामिल होने पर दोनों पक्षों की बहस सुनी गई । अपीलार्थी के लायक अधिवक्ता श्री नगेन्द्र मेडतिया द्वारा अपनी बहस में निवेदन किया गया कि तहसीलदार, आबूरोड द्वारा ग्राम सालगांव पटवार हल्का ओरिया तहसील आबूरोड के खसरा नम्बर 207 रकबा 8.04 बीघा किस्म बंजर पर अपीलार्थी का अवैध निर्माण मान कर राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 90ए के तहत नोटिस जारी किया गया जो नोटिस अपीलांट को तामिल करवाया गया जिसे अपीलांट पर तामिल मानते हुए उसे उपस्थित बताकर निर्णय पारित कर दिया । अपीलांट को हाजिर बताते हुए भौतिक रूप से बेदखल करने एवं रूपये 50/– का जुर्माना आरोपित करने के आदेश पारित किये गये, जो कानूनी रूप से उचित एवं विधिसम्मत नही है। यह है कि मौजा सालगांव के खसरा संख्या 207 की आराजी अपीलांट के खातेदारी व कब्जा काश्त की है, जिस पर अपीलांट का पुराना रहवासी मकान बना हुआ है। अपीलांट उक्त आराजी पर निर्मित मकान पर ही अपने परिवार सहित निवास करता है तथा उक्त आराजी पर काश्त कर अपना व अपने परिवार का गुजारा करता है। यह है कि अपीलांट का निर्माण पचासवें हिस्से से बहुत ही कम है तथा खातेदार को अपनी कृषि आराजी के पचासवें भाग तक सुधार कार्य करने, अपने रहवास हेतु आवास निर्माण करने का पूर्ण अधिकार है। अतः उक्त निर्माण अवैध न होकर वैध है। यह है कि अधिनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट को सुनवाई का समुचित अवसर न देकर अपीलाधीन

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhagwati Prasad Kalal
Date: 2021.10.15 12:11:10 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलेक्टर, सिरोही

Scanned with CamScanner

निर्णय पारित किया जो विधि विरूद्ध है। अतः श्रीमान से निवेदन है कि अपीलांट की अपील को स्वीकार फरमाकर अधिनरथ न्यायालय के निर्णय को निरस्त करना फरमावें।

रेस्पोडेन्ट की ओर से बहस में पेरोकार सरकार द्वारा निवेदन किया गया कि विवादित भूमि पर अपीलार्थी द्वारा अवैध निर्माण कर कब्जा कर काश्त किया है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा निर्णय पारित करने में किसी तरह की कोई कानूनी त्रुटि नही की गई है । अपीलान्ट को पेशी का नोटिस तामिल शुदा अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली मे उपलब्ध है । यह है कि अपीलांट ने विवादित भूमि से सम्बन्धित किसी भी प्रकार का रूपान्तरण नहीं करवाया है और न ही नगरपालिका से किसी भी प्रकार की निर्माण स्वीकृति प्राप्त की है। अतः अपीलान्ट की अपील खारिज की जावे।

मैनें दोनों पक्षों की सुनी गई बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का भली भॉति अध्ययन एवं अवलोकन किया । अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का भी अवलोकन किया तो मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचता हुॅ कि विवादित भूमि राजस्व रेकर्ड में बंजर दर्ज है। अपीलार्थी को अधिनरथ न्यायालय द्वारा संवत् 2068 मे अवैध निर्माण करने से राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 90ए के तहत नोटिस जारी किया गया है। तामिल कुनिन्दा द्वारा तामिल शुदा नोटिस अधीनस्थ न्यायालय मे प्रस्तुत किया जो अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली मे मौजूद है। अपीलान्ट अधिवक्ता का यह कथन कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उसे सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान नहीं किया गया है, मानने योग्य प्रतीत नहीं होता है। अधिनरथ न्यायालय की पत्रावली को देखने से स्पष्ट है कि अपीलांट प्रत्येक पेशी पर उपस्थित रहा जिस पर उसके स्वयं के हस्ताक्षर है। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों से स्पष्ट है कि पटवारी हल्का की रिपोर्ट के आधार पर अपीलांट द्वारा मौजा सालगांव के खसरा संख्या 207 रकबा 8.04 बीघा किस्म बंजर में 460 वर्गफुट पर निर्माण कार्य किया हुआ है लेकिन राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 67 के अनुसार खातेदारी भूमि के 1/50वें भाग पर निर्माण कर सकता है। अतः ऐसी स्थिति में अपीलांट की अपील आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर अधिनरथ न्यायाल[illegible] [illegible]षित की जाती है कि अपीलांट समुचित सुनवाई का अवसर एवं [illegible] करने का समय देकर पुनः निर्णय पारित करें।

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhagwati Prasad Kalal
Date: 2021.10.15 12:11:10 IST
Reason: SelfAttested

निर्णय आज दिनांक 09.06.2021 को सरे इजलास सुनाया गया ।

(भगवती प्रसाद)
जिला कलक्टर, सिरोही

न्यायालय जिला कलक्टर सिरोही (राज.)

Scanned with CamScanner